

निचई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

दिनांक 03 जनवरी, 2023

कार्यालय झाड़

संलग्नक संख्या File No. IRR 2-15/15.1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation
 दिनांक: (Computer No. 283/46187/50/2022, दिनांक 02.01.2023) द्वारा पूजीलेखा के अनुदान
 क्रमांक-23 राज्य सरकार सरकारों द्वारा परियोजना हेतु एन000000/मुमि अन्विष्ट (53-वृहद निर्माण)
 वर्ष के अन्तिम दिनांक 2022-23 के भीतर इस के अन्तर्गत-समाप्त मोटर मार्ग पर डहरा क्षेत्र
 में मोटर मार्ग के निर्माण के अन्तिम के कारण परियोजना मार्ग को मवेष्ट में विस्तारित क्षति को
 हेतु मवेष्ट मार्ग के मवेष्टों का रा. 25.26 लाख को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति
 राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के रा. 75.156 लाख (सन्तुष्ट निम्नहस्त लाख मन्त्रह हजार
 को रा. 75.156 लाख के अन्तिम के अन्तिम पर रखते हुए आवेदन किया गया है।

७७. लक्ष्मी कर्मयोग कर्मयोग ₹ 75.00 लक्ष्मी का मुख्य अनिष्टनावार/खगंडवार/नंदवार
मौजुदावार कर्मयोग कर्मयोग -

		घनराशि ₹ लाख में	
क्र.	वस्तु का विवरण / वस्तु का नाम / मुख्य अभियन्ता / खण्ड का नाम	स्वीकृत लागत	आवृत्ति घनराशि
क्र. 21	1970-मुख्य केबल पर सुलेखित परिवर्तन, 80-समस्या, 001-निर्देशन तथा सम्मान, 04-जम्मा में बंध परिवर्तन हेतु रजिस्ट्रार/मूने अधिग्रहण हेतु धनराशि 80-83-वृद्धि में (1970-80-001-04-20-83)		
	मुख्य अभियन्ता सत-2 इन्दौर		
	जम्मा में बंध निर्माण खण्ड-2 इन्दौर		
	(निर्माण हेतु) जम्मा में बंध के निर्माण पर बंध आवृत्ति		
	घनराशि धनराशि का अनुमान-जम्मा में बाहर नाम पर खर्च का नाम मिला नहीं जा सकता है इसी कारण से जम्मा में परिवर्तन नामों को परिवर्तन में परिवर्तन करने के लिये हेतु परिवर्तन बाहर के अनुमानों में	125.26	75.156
	योग	125.26	75.156

जम्मा में परिवर्तन लाख पन्द्रह हजार का ली मात्र

सूचना आयोग के उपाध्यक्ष का उपाध्यक्ष शक्तिशाली सचिव File No. IRR 2-15/15.1/1 2022-II-2-
Litigation and Minor Litigation Department (Computer No. 28374) 187150 2022, दिनांक 02.
02 2022 - सचिव के नाम से एवं प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जाएगा -

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय उसी योजना में अन्तर्गत किया जाये, जिसके लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विवर्जन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हों।
2. धनराशि का अग्रहण व व्यय वित्तविक्रम आग्रहयोजना के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि का व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारियों के आग्रहण पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा जायेगी।
4. अग्रहण की जा रही धनराशि के अग्रहण व व्यय में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के सम्मन्धित नं०-236/XXVIR/2022(91-09-2019, दिनांक 04.04.2022 एवं शासनादेश सं० 391/09/50-2019/XXVIR/2022, दिनांक 24.06.2022 में निर्धारित शर्तों के साथ-साथ बजट नियुक्त विभाग वित्तविक्रम आग्रहयोजना अधिपति निर्देशावली 2017 संशोधित नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट रूप-रिवाज द्वारा निषेधाज्ञा के विषय में समय-समय पर जारी किये गये अज्ञापन एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।

21 300
100
1100

5. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से सापेक्षता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, आहरण एवं गिरण अधिकारियों को अग्रमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0-10 पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. कार्य की समयवद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. कार्य करने से पूर्व अनुमत्य दर सूची आगार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कार्यों हेतु धनावंटन किया गया है। वे कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हों, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा। कार्य की लागत को किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
10. आवंटित धनराशि के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यों को जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करायी जायेगी।
11. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना के प्रावधानों पर राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (बाढ़) का अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
12. उपरोक्त उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं उल्लिखित धनराशि के सम्बन्ध में यदि कोई अस्पष्टता अथवा भ्रम की स्थिति प्रतीत हो रही हो तो वस्तुस्थिति से इस कार्यालय से तत्काल स्पष्ट करा ली जाय।

(जयपाल सिंह)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: 18 / प्र0अ0 / बजट / बी-1 / तदिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तत्त्व, (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त निटन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून इस आशय से प्रेषित है कि उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति बजट अनुभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-11, हल्द्वानी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5. प्रबन्ध निदेशक (UPDCC), देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि स्वीकृत कार्यों हेतु सम्बन्धित खण्ड को उतनी ही धनराशि की मांग प्रेषित करने का कष्ट करें, जितनी धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में हो सके।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. अधिकारी अभियन्ता, जमरानी बाध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रबन्ध निदेशक (UPDCC), देहरादून की मांग के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(बी0एम0 काउन्सिलर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता